


	<p>भारत सरकार / Government of India वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance राजस्व विभाग / Department of Revenue कार्यालय / Office of the मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र Chief Commissioner of Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone जी. एस. टी. भवन, तेलंगखेड़ी मार्ग / G.S.T. Bhawan, Telangkhedi Road सिविल लाइन्स, नागपुर - 440001 / Civil Lines, Nagpur - 440001 Phone: 0712-2555561 E-mail: - ccu-cexngpr@nic.in</p>	
---	--	---

Dated: [Date of Digital Signature]

स्थापना आदेश क्रमांक 44/2024

ESTABLISHMENT ORDER NO 44/2024

सहायक आयुक्त, सीसीयू, सीजीएसटी भोपाल जोन द्वारा जारी पत्र के अनुसरण में एफ.नं. II (03)02/CCU/BZ/2024/1099 दिनांक 02.08.2024, नागपुर स्थित आयुक्तलायों (भोपाल सी. सीए) में अनुकंपा आधार पर चयनित हवलदारों के ग्रेड में निम्नलिखित पोस्टिंग का आदेश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक जारी किया जाता है:-

In pursuance of the letter issued by the Assistant Commissioner, CCU, CGST Bhopal Zone vide F. No. II (03)02/CCU/BZ/2024/1099 dated 02.08.2024, the following posting in the grade of **Havaldars**, selected on Compassionate Ground to Nagpur based Commissionerates (Bhopal CCA), is hereby ordered with immediate effect and until further orders: -

Sl. No.	Name of the Officer (Shri/Smt)	Designation	From	Posted to Commissionerate
1	Abhishek Sanjay Rathod	Havaldar	On Joining	CGST Nagpur-I
2	Rohit Bhaskar Tumsarkar	Havaldar	On Joining	CGST Nagpur-I
3	Om Pramod Jadhav	Havaldar	On Joining	CGST Nagpur-II
4	Naresh Anandrao Dhendwal	Havaldar	On Joining	Nagpur Customs

2. आवंटित कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर विशिष्ट तैनाति, क्षेत्राधिकार वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और आयुक्तालय स्तर पर दस्तावेजों की उचित जांच के लिए उपर्युक्त अधिकारी के दस्तावेज सी. जी. एस. टी. भोपाल जोन से एकत्र किए जाएंगे तथा यथाशीघ्र इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सी. सी. ए., सी. जी. एस. टी. भोपाल जोन को रिपोर्ट की जाएगी।

The specific posting within the jurisdiction of the allocated office will be made by jurisdictional Competent Authority and the dossiers of above-mentioned officer will be collected from **CGST Bhopal Zone** for proper scrutiny of dossiers at Commissionerate level and report will be sent to CCA, CGST Bhopal Zone, under intimation to this office at the earliest.

3. उपर्युक्त अधिकारी के कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की प्रति, कृपया इस कार्यालय को सूचित करते हुए, सी. सी. ए., सी. जी. एस. टी. भोपाल जोन को भेजी जाए।

Copy of Joining Report of above-mentioned officer may please be sent to CCA, CGST Bhopal Zone under intimation to this office.

4. उपर्युक्त जिस अधिकारी ने मुख्य आयुक्त कार्यालय, नागपुर जोन, नागपुर में कार्यभार ग्रहण किया है, उन्हें इस स्थापना आदेश के जारी होने की दिनांक से, इस कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

The officer who have joined at Chief Commissioner Office, Nagpur Zone, Nagpur is hereby **stand relieved** from this office, from the date of issuance of this Establishment Order.

5. यह स्थापना आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र, नागपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This Establishment Order has been issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone, Nagpur.

(Venkatesham Anamala)

Additional Commissioner (CCO)

प्रति To

संबंधित व्यक्ति को The Individuals

(संबंधित अधिकारी के माध्यम से Through the officer concerned)

प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई Copy submitted to :

1. मुख्य आयुक्त, सी. जी. एस. टी. और सीमा शुल्क, भोपाल क्षेत्र. (सी. सी. ए.) को, सहायक आयुक्त, सी. सी. यू., सी. जी. एस. टी. और सीमा शुल्क, भोपाल क्षेत्र द्वारा जारी पत्र एफ. नं. II(03)02/CCU/BZ/2024/1099 दिनांक 02.08.2024 के संदर्भ में।

The Chief Commissioner, CGST & Customs, Bhopal Zone (CCA) in reference of letters issued by the Assistant Commissioner, CCU, CGST Bhopal Zone F. No. II(03)02/CCU/BZ/2024/1099 dated 02.08.2024.

2. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी. जी. एस. टी. नागपुर-I आयुक्तालय, सी.जी.एस.टी. नागपुर-II आयुक्तालय और नागपुर सीमा शुल्क को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
The Principal Commissioner/Commissioner, CGST Nagpur-I, Commissionerate, CGST Nagpur-II Commissionerate and Nagpur Customs for information and necessary action please.
3. अधीक्षक (सतर्कता), सहायक मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, सी. जी. एस. टी. नागपुर-I आयुक्तालय, सी.जी.एस.टी. नागपुर-II आयुक्तालय और नागपुर सीमा शुल्क को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
The Superintendent (Vigilance), Assistant Chief Accounts Officer and Administrative Officer, CGST Nagpur-I Commissionerate, CGST Nagpur-II Commissionerate and Nagpur Customs, for information and necessary action please.
4. अधीक्षक, सिस्टम शाखा, सी. जी. एस. टी. नागपुर-I आयुक्तालय को, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
The Superintendent, Systems Branch, CGST Nagpur-I Commissionerate, for uploading on Official Website.
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, नागपुर को, कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
The Pay & Accounts Officer, Nagpur, for information and necessary action please.
6. गार्ड फ़ाइल।
Guard file.